न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस.

वाद संख्या 344 / दावा / 2000

मृतक-1 पृथ्वी सिंह आत्मज श्री कल्याण सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडला तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज0) कायममुकामान्

1/1 रघुवीर सिंह आत्मज पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडला तहसील तालेड़ा जिला बूंदी (राज0)-पुत्र

1/2 हरिराज सिंह आत्मज श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडला तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0-पुत्र

1/3 विजय बहादुर सिंह आत्मज श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडला तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0-पुत्र

1/4 श्रीमति कैलाश कंवर पुत्री श्री पृथ्वी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम खेडला तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0-पुत्री

-वादीगण

बनाम

1- राजस्थान सरकार जिलाधीश महोदय बून्दी, जिला बूंदी (राज0)

2- राज. राज्य जर्ये तहसीलदार तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी

-प्रतिवादीगण

वाद बाबत् -अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :-

1- श्री नन्दसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादीगण

2- पेरोकार सरकार राज्य की ओर से।

दिनांक :- 30.10.2018

- निर्णय :-

1- वादीगण की ओर से यह वाद पत्र अधिकार घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दिनांक 08.09.1987 को प्रतिवादीगण के विरूद्व पेश किया था।

2- वाद पत्र के संक्षिप्त : तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा संख्या 140/1(क) रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 140/1(च) रकबा 19 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील बून्दी वर्तमान तालेडा जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। गत बन्दोबस्त में उक्त खसरा नम्बरो का नया नम्बर 299 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ। उपरोक्त आराजी गत बन्दोबस्त के पूर्व मोड्या, रामसुख व बरधा पि0 किशना जाति बलाई निवासी रघुनाथपुरा के खाते दर्ज थी पता नही किस आधार पर उक्त आराजी खातेदारान् मोड्या, रामसुख व बरधा का नाम खाते में निरस्त किया जाकर सरकार के खाते दर्ज कर दी गई थी इस बाबत वादी द्वारा राजस्व विभाग के दस्तावेजो का निरीक्षण किया गया है लेकिन वादी को वह दस्तावेज नही मिल पाया जिस के आधार पर उक्त आराजी सरकारी खाते दर्ज

Scanned by CamScanner

का आदेश दिया गया था वर्तमान में यह जमीन सरकार के खाते दर्ज हैं इसलिए सरकार को दी बनाया गया हैं उक्त आराजी पर वादी व वादी के पूर्वजो का पीढी दर पीढी वर्तमान समय तक तार बिना किसी रूकावट के अधिकार पूर्व कब्जा चला आ रहा है। मूल खातेदारो के द्वारा चरण सं. 1 वर्णित आराजी करीब 60 वर्ष पूर्व से ही रहन बिल, कब्ज कर दी गई थी। रहन से मुक्त करवाने की वधि भी समाप्त हो गई है इसलिए विवादित आराजी के खातेदार कानूनी रूप से वादी बन गया है। वेवादित आराजी पर अनवरत रूप से 60 वर्षो से अधिक समय से वादी व वादी के पूर्वजो का कब्जा चला आ रहा है। सम्वत् 2012 में भी वादी के परिवार वाले इस जमीन पर जोता के रूप में दर्ज हैं इस आधार पर भी वादी उक्त आराजी का खातेदार बन गया है। वादी द्वारा राजस्व विभाग के सम्बंधित अधिकारियों से उक्त आराजी को वादी के खाते दर्ज करने को कहा तो अधिकारियों द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि विवादित आराजी सरकारी खाते दर्ज हैं आपके खिलाफ तुरन्त बेदखली की कार्यवाही की जावेगी। इस कारण से वादी द्वारा यह दावा नोटिस के अभाव में पेश करना आवश्यक हो गया हैं अन्त में निवेदन किया कि वाद पत्र के चरण सं. 1 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 299 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम रघुनाथपुरा का खातेदार वादी को घोषित किया जाकर सरकारी दस्तावेजो में वादी का नाम खातेदार के रूप में दर्ज फरमाया जावें।

3–वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादीगण की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा जवाब में वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुये वाद पत्र को निरस्त करने का अभिवचन किया।

4–वाद पत्र व जवाब दावा प्रस्तुत होने के पश्चात् इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा निम्न विवाधक कायम किये गयें –

(i) आया विवादित भूमि खसरा संख्या 140/1(क) रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 140/1(च) रकबा 19 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा का गत बन्दोबस्त में नया नम्बर 299 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा कायम हुआ हैं।

–वादी

(ii) आया विवादित आराजी गत बन्दोबस्त के पूर्व मोड्या, रामसुख व बरधा पिता किशना जाति बलाई निवासी रघुनाथपुरा के खाते दर्ज थी।

–वादी

(iii) आया विवादित भूमि वर्तमान एवं गत बन्दोबस्त में सरकारी दर्ज हैं।

–प्रतिवादी

(iv) आया विवादित आराजी खातेदारान् द्वारा 60 वर्ष पूर्व से रहन बिल काबिज कर दी थी तथा वादी का लगातार कब्जा होने से खातेदारी पाने का अधिकारी है।

–वादी

(v) आया विवादित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते दर्ज होने से वादी के अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है।

–वादी

(vi) आया विवादित भूमि का लगान वादी अदा कर रहा है।

–वादी

(vii) दादरसी।

Scanned by CamScanner

गण की ओर से पृथ्वी सिंह पी.डब्लू –1, हीरा लाल पी.डब्लू 2 , नाथू लाल पी.डब्लू 3, को परीक्षित तथा दस्तावेजी साक्ष्य में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये जिनमें प्रदर्श –1 मिसल बन्दोबस्त 2028 से प्रदर्श – 2 मिलान क्षैत्रफल , प्रदर्श – 3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2005, प्रदर्श – 4 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2009, प्रदर्श–5 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2010, प्रदर्श–6 खसरा गस्त, प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत् ...4, प्रदर्श–8 लिगल नोटिस।

6– हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिनका विवचेन एवं विश्लेषण नियत विवाधको के क्रम में किया जा रहा है :–

विवाधक संख्या– 1

7– विवाधक संख्या 1 वादी को साबित करना था इस सम्बन्ध में वादी खसरा मिलान प्रदर्श–2 पेश किया जिसे यह साबित होता है कि खसरा संख्या 299 के साबिक नम्बर 144/1(क) रकबा 5 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 140/1(च) रकबा 19 बिस्वा तथा पेरोकार सरकार ने भी उपरोक्त तथ्यों को अपने जवाब की चरण संख्या 1 में स्वीकार किया है इस प्रकार वर्तमान खसरा संख्या 299 के साबिक नम्बर वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित है जो ही है उक्त तथ्य को वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया हैं तथा प्रतिवादी ने भी अपने जवाब में स्वीकार किया हैं इस प्रकार विवाधक संख्या 1 के वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाधक संख्या – 2

8. विवाधक संख्या 2 वादी को साबित करना था इस सम्बंध में वादी ने खसरा गस्त संख्या 2005 प्रदर्श–3 के रूप में प्रदर्शित करवाया जिसमें उपरोक्त आराजी मोड़्या, रामसुख व बरधा के खातेदारी में दर्ज थी तथा जवाब वाद पत्र की चरण संख्या 2 में पेरोकार सरकार ने भी स्वीकार किया है ऐसी स्थिति में इस विवाधक को भी वादी पूर्णतया साबित करने में सफल रहा हैं इस कारण यह विवाधक भी वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाधक संख्या–3

9. यह विवाधक प्रतिवादी को साबित करना था परन्तु प्रतिवादी के द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो कि बन्दोबस्त से पूर्व उपरोक्त आराजी सरकारी दर्ज थी जबकि उसके विपरीत वादी ने जमाबन्दी सम्वत् 2028 से 2047 पेश की जिसमें उपरोक्त आराजी मोड़्या, रामसुख व बरधा के खातेदारी में दर्ज थी। इस प्रकार प्रतिवादी उक्त विवाधक को पूर्णतया असफल रहा हैं इस कारण यह विवाधक वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाधक संख्या–4

10. यह विवाधक वादी को साबित करना था इसके सम्बंध में वादी ने खसरा गस्त सम्वत् 2005 को प्रदर्श–3 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2001 से सम्वत् 2012 तक प्रदर्श–4, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2012 से 2016 तक प्रदर्श–5 पेश की, खसरा गस्त सम्वत् 2005 जो प्रदर्श–3 है के कॉलम संख्या 18 में नाप खातेदार या सिखमी जोता वगेराह मय हक काश्त में वादी के पिता कल्याण सिंह मु.बि.क. दर्ज है जिससे साबित होता है कि उपरोक्त आराजी वादी के पूर्वजो के रहन दर्ज थी तथा कब्जा काश्त थी। न्यायालय के

Scanned by CamScanner

तहसीलदार को कमीश्नर नियुक्त कर मौका रिपोर्ट तलब की गई मौका रिपोर्ट दिनांक 05.10.1990 है से प्रमाणित होता है कि वाद वर्णित कृषि भूमि पर वादी कब्जा काश्त है। इस प्रकार उक्त विवाधक को वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से बखूबी प्रमाणित किया है जहा तक मु.बि.क के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रश्न है तो उक्त कृषि भूमि पर वादी के पिता जो मु.बि.क(रहन) का नोट लगा हुआ है वह काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने से पूर्व का है तथा बून्दी स्टेट टिनेन्सी एक्ट के अनुसार मु.बि.क (रहन) का नोट तथा कब्जा प्राप्त करने की मियाद 20 वर्ष हैं इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो कि पूर्व दर्ज खातेदारान् ने उक्त भूमि को वादी के पिता से रहन मुक्त करवा लिया हो। इस प्रकार बून्दी स्टेट के समय से ही वादीगण उक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है खसरा गस्त सम्वत् 2005 जो प्रदर्श–3 है के कॉलम संख्या 18 में नाप खातेदार या सिखमी जोता वगेराह मय हक काश्त में वादी के पिता कल्याण सिंह मु.बि.क. दर्ज है अर्थात वादी के पिता सम्वत् 2005 में उपरोक्त कृषि भूमि का उप काश्तकार था। धारा 15 काश्तकारी अधिनियम 1955 के अनुसार उप अभिधारियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने सम्बंधी विधि का विश्लेषण किया गया है जिसके अनुसार इस अधिनियम के लागू होने की दिनांक 15 अक्टूम्बर 1955 या सम्वत् 2012 में जो व्यक्ति एक अभिधारी है इस अधिनियम के लागू होने के बाद जो व्यक्ति अभिधारी के रूप में स्वीकार कर लिया गया है वह व्यक्ति विधि के प्रवर्तन से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है इस प्रकार वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य से यह पूर्णतया साबित किया है कि वादी सम्वत् 2012 से पूर्व से ही उपरोक्त कृषि भूमि पर वैध अभिधारी की हैसियत से काबिज है इस प्रकार वादी उपरोक्त आधार पर उपरोक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता है।

विवाधक संख्या–5

11. यह विवाधक वादी को साबित करना था विवादित भूमि सरकारी दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण वादी को बेदखल करने पर आमादा हो रहे है जिससे वादी के हितो पर विपरीत प्रभाव पड रहा है जो कि प्रतिवादीगण के जवाब से प्रमाणित है ऐसी स्थिति में यह विवाधक वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

विवाधक संख्या–6

12. यह विवाधक वादी को साबित करना था इस सम्बंध में पत्रावली पर लगान की रसीदे वादी की ओर से पेश की गई हैं जिससे यह स्पष्ट होता हैं कि वाद वर्णित आराजी का लगान वादी के द्वारा अदा किया जा रहा हैं इस कारण यह विवाधक भी वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

अनुतोष –

13. जैसा की विवाद्यक संख्या 1 व 6 के निष्कर्षो से हमारे सामने यह स्थिती आती है कि वादीगण वाद वर्णित कृषि भूमि पर काबिज काश्त है जो कि एक वैध संविधा के तहत मु.बि.क के आधार पर काबिज काश्त है जो कि सम्वत् 2012 से पूर्व से ही काबिज काश्त है इस प्रकार तथा लगान अदा कर रहे हैं कमीश्नर रिपोर्ट से भी प्रमाणित है कि मौके पर वादीगण का ही कब्जा है इस प्रकार वादीगण उपरोक्त कृषि भूमि पर ट्रेसफासर नही हैं तथा धारा 15 काश्तकारी अधिनियम की सभी शर्तो को वादीगण के द्वारा पूर्णतः साबित किया गया है इस प्रकार वादीगण वाद वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी पाये जाते है तथा खातेदारी की घोषणा करवाने का अधिकारी पाये जाते है।

Scanned by CamScanner

—:: आदेश ::—

परिणामस्वरूप वादीगण का यह वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र की चरण ख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 299 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम रघुनाथपुरा तहसील तालेडा जिला बून्दी का खातेदार वादीगण को घोषित किया जाता है तथा तहसीलदार तालेड़ा को आदेशित किया जाता है कि वादीगण को उपरोक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में नाम अमल दरामद करे।

वाद व्यय पक्षकार अपना–अपना वहन करेगे उक्तानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/18

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी तालेड़ा
जिला बून्दी

उपखण्ड अधिकारी